भाग–2

परियोजना या स्कीम की अवस्थितिः–जनपदचमोलीमेंराष्टीय राजमार्ग सं0–07(पुराना एन0एच0–58) के किमी0 399.00 (कर्णप्रयाग) से किमी0 460.00 (नौलीग्वाड़) मेंमौजूदासड़ककाचौड़ीकरण एवंसुदृढीकरणहेतु एन0एच0आई0डी0सी0एल0।	
(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii) जिलावनप्रभाग	बद्रीनाथवनप्रभाग, गोपेश्वर।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानीवालीप्रस्तावितवनभूमिका क्षेत्र	40.8916 है0
2–पूर्वेक्षण के लिए पहचानीगईनईवनभूमि की विधिकप्रस्थिति	सिविलसोयम, वनपंचायत, आरक्षितवन।
3–अपवर्जन के लिए प्रस्तावितवनभूमिमेंउपलब्ध वनस्पतिकाब्यौरा–	संलग्न ।
(i) वनकाप्रकार	सिविलसोयम, वनपंचायत, आरक्षितवन।
(ii) वनस्पतिकाऔसतपूर्ण घनत्व	0.3
(iii) प्रजातिवारस्थलवार या वैज्ञानिकनामऔरगिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षो की परिगणना।	प्रस्तावमेंसंलग्न।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीवनभूमि की कार्यकरण योजनाकानुस्खा	प्रस्तावमेंसंलग्न।
4–भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षणहेतुउपयोग की जानीवनभूमि की स्थलाकृतिऔर क्षीर्णतापरसंक्षिप्त टिप्पणी	भूगर्भवैज्ञानिक की रिपोर्टसंलग्नहै।
5–वनभूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानीप्रस्तावितवनभूमि की लगभगदूरी	0.100 किमी0
6–वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वेक्षणमेंउपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि की महत्ता	नहीं।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि के लगभगविद्यमानवन्यजीवकाब्यौरा	नहीं।
(ii) क्याराष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवअभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्ररिजर्व, हाथीकोरीडोरवन्यजीवअत्प्रवासगलियारेआदि के भागकानिर्माणकरतेहैं (यदि ऐसाहैतो क्षेत्र के ब्यौरेऔरउपाबद्व किए जानेमेंमुख्य वन्य जीववार्डन की टीका–टिप्पणी उपावद्व की जाय)	नही।
(iii) क्याराष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवअभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्ररिजर्व, हाथीगलियारेपूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि की सीमा से दस किमी0 के भीतरअवस्थितहै (यदि ऐसाहैतो क्षेत्र के ब्यौरेऔरमुख्य वन्यजीववार्डन की टीका–टिप्पणियोंउपावद्व की जाय)	नहीं।उक्तपरियोजना के निर्माण क्षेत्र से केदारनाथवन्यजीवअभ्यारण से निकटतमहवाईदूरी21.10 किमी0 है।
(iv) क्याराष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवअभ्यारणजैव क्षेत्र. आरक्षणव्याघ्ररिजर्व, हाथीगलियारेपूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि की सीमा से एक किमी0 के भीतरअवस्थितहै, (यदि ऐसाहैतो क्षेत्र के ब्यौरेऔरमुख्या वन्यजीववार्डन की टीका–टिप्पणियोंउपावद्व की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र मेंवनस्पतिऔरजीवजन्तु के अलग या खतरेमेंअलगकिस्म के खतरे की प्रजातियांहै, तोउसकेब्यौरे	नही।

Scanned by CamScanner

7–क्या क्षेत्र मेकोईसंरक्षितपुरातत्वीय या विरासतस्थल या प्रतिरक्षात्मकस्थापन या कोईमहत्त्वपूर्णसंस्मारकअवस्थितहै (यदि ऐसाहैतोउपावद्ध किए जाने के लिए सक्षमप्राधिकारी से अनापत्तिप्रमाण–पत्र के साथउसकाब्यौरा दें।)	नहीं।
8–पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानेवालीप्रस्तावितवनभूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारेमेंटीकाटिप्पणियांदें।	निम्नानुसार।
(i) क्या भाग–1 के पैरा 6 और 7 मेंप्रयोक्ताअभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावितवनभूमि की अपेक्षाअपरिहार्यहैऔरपरियोजना के लिए अतिन्यूनतमहै।	न्यूनतमहै।
(ii) यदि नही तो वनभूमि के सिफारिशकिए गए क्षेत्र जिसकेपूर्वेक्षण के लिए उपयोगकियाजासकताहै।	याचिकाभूमिन्यूनतमहै।
9–किए गए अतिक्रमण के ब्यौरेः–	
(i) क्याअधिनियम या अधिनियम के अधीनमार्गदर्शकसिद्वातों के अतिक्रमणमेंकिसीकार्य की कियागयाहै (हां/नहीं)	नहीं।
(ii) यदिहां, की गईकार्यअवधि, अतिक्रमणमेंअंतर्वलित न भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायीव्यक्तिकानाम, पतेऔरपदनामसहितअतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तददायीव्यक्ति के विरूद्व की गईकार्यवाही।	नहीं।
(iii) क्याअतिक्रमणमेंकार्यअबभीप्रगतिहै (हां/नहीं)	नहीं।
10– क्षतिपूरकवनरोपणस्क्रीम के ब्यौरेः–	
(i) क्षतिपूरकवनरोपण बढाने के लिए पहचान की गईवनभूमि की विधिकप्रास्थिति।	अनवतआरक्षितवनभूमि
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं0 क्षेत्र और क्षतिपूरकवनरोपण क्षेत्र के लिए पहचानकिए गए गैरवन क्षेत्र या अवनतवनजैसेब्योरेदें।	नवालीपंचम क0न0 1अ, 6.10 है, 5.00 है0, 2–नवालीपंचम क0न0 1ब, 4.00 है0, 3.00 है0, 3–नवाली चतुर्थ क0न0 6अ, 5.00 है0, 4–देवसारी द्वितीय क0न0 1, 10.00 है0, 5–देवसारी ।। क0न0 10 ब, 5.00है0, 6–नवालीपंचम क0न0 9,6.00 है0, 7–देवसारीप्रथम क0न0 8, 3.50 है0, 4.00 है0 8–कुंजाकोटप्रथम क0न0 7अ,15.0 है0 9–मेलखण्डा व उखीमठ
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचानकिए गए गैरवनीकरण या अवनतवनदर्शितकरनेवाले 1:50,000 माप के मूलमेंस्थलपरतभारतकासर्वेक्षणऔरसमीप्य वनसीमाएंसंलग्नहै।	प्रस्तावमेंसंलग्न।
(iv) रोपित की जानेवालीप्रजातियोंकार्यन्वयनअभिकरण, समय सूची, लागतसंरचनाआदिसहित क्षतिपूरकवनरोपणस्क्रीम के ब्यौरेसंलग्नहै (हां/नहीं)	प्रस्तावमेंसंलग्न।
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपणस्क्रीम के लिए कुलवित्तीय उपरिव्ययः–	251.35542 लाख
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचानकिए गए क्षेत्र की उपयुक्तिता के बारेमेंसंवद्व उप वनसंरक्षण से प्रमाण–पत्र संलग्नहैं (हां/नहीं)	संलग्न।
11–वनस्पतिऔरजीवजन्तुपरप्रस्तावितक्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूण्र तथ्य प्रकाशमेंलानेवाले उप वनसंरक्षक की स्थलनिरीक्षणरिपोर्टसंलग्नहै। (हां/नहीं)	संलग्न।
12–स्वीकृति या अन्यथाकारणों के साथप्रस्ताव के लिए उप वनसंरक्षक की विनिर्दिष्टसिफारिशें।	भूस्खलन क्षेत्रोंके उपचारएवंसड़कचौड़ीकरणहेतुवनभूमिहस्तान्तरण के लिए जनहित, यातायात, पर्यटन के दृष्टिकोण सेसंस्तुतिदीजातीहै।

स्थानः–गोपेश्वर।
दिनांक– 18/11/2019

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथवनप्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner